

**राजस्थान सरकार**  
**अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक:-स. 3(3)(1) स्था/मंत्रा./अभि./2017/पार्ट-1/ 4200-20

दिनांक:- 22/3/18

**--: आदेश :-**

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.11/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	16.01.58	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
2.	श्री शिवलहरी विजय	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	08.01.58	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
3.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	रीडर, न्याय विभाग	15.11.56	एडीपी बाडमेर	प्रथम बार
4.	श्री जयभगवान भारद्वाज	अति. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	13.09.57	एडीपी चूरु	प्रथम बार
5.	श्री रामनिवास शर्मा	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	01.07.57	एडीपी चूरु	प्रथम बार
6.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग	05.07.55	एडीपी टोंक	प्रथम बार
7.	श्री खेमचन्द	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	27.11.57	एडीपी जयपुर देहात	प्रथम बार
8.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	कनिष्ठ सहायक, रा.रा.प.प. निगम	14.03.57	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
9.	श्रीमती विजय लक्ष्मी सोनी	वरिष्ठ सहायक, कोष कार्यालय	15.10.55	एडीपी उदयपुर	प्रथम बार
10.	श्री खेमराज रैगर	वरिष्ठ रीडर न्याय विभाग	11.12.57	एडीपी उदयपुर	प्रथम बार
11.	श्री रामसिंह चौहान	वरिष्ठ सहायक, कर्म.राज्य बीमा औषधालय विभाग	12.06.55	एडीपी राजसमन्द	द्वितीय बार
12.	श्री नन्दकिशोर शर्मा	वरिष्ठ सहायक अभियोजन विभाग	05.07.56	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार

13.	श्री तिलक राज खन्ना	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	09.12.55	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
14.	श्री लक्ष्मीनारायण सैनी	वरिष्ठ रीडर न्याय विभाग	17.07.56	एडीपी बून्दी	द्वितीय बार
15.	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	09.07.56	एडीपी बून्दी	द्वितीय बार
16.	श्री रोशन लाल	वरिष्ठ रीडर न्याय विभाग	10.10.55	एडीपी अलवर	द्वितीय बार
17.	श्री मदन लाल सैन	वरिष्ठ सहायक अभियोजन विभाग	20.07.56	एडीपी अलवर	द्वितीय बार
18.	श्री गोर्वधन लाल आचार्य	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	01.10.57	एडीपी जोधपुर	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00008/H-10/ दिनांक 20.03.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, .....
4. लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।

22/3/18  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर